समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

समता का मुख्य न्यायाधीश गवई को पत्र

अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से जब तक कीमीलेयर लोगों को बाहर नहीं किया जाता तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा नहीं किया जा सकता है : समता आन्दोलन

जयपुर। 6 नवम्बर। समता आन्दोलन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि अजा-अजजा वर्ग से जब तक कीमीलेयर लोगों को बाहर नहीं किया जाता तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा नहीं किया जा सकता है।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की तीन संविधान पीठों द्वारा एम. नागराज (19.10.2006), जरनेल सिंह एवं अन्य (26.09.2018) एवं आन्ध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य (20.04.2020) के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों की पालना करते हुए करोड़ों वंचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नागरिकों की भलाई करे।

पत्र में लिखा गया है कि आप द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्मिकों-अधिकारियों की भर्ती में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के नागरिकों को आरक्षण शुरू करके देश के करीब 300-400 अजा-अजजा नागरिकों की भलाई का काम किया गया है। इसी प्रकार आपने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह मांग की है कि अजा-अजजा वर्ग से जब तक कीमीलेयर लोगों को बाहर नहीं किया जाता तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा नहीं किया जा सकता है। समता आन्दोलन आपके उपरोक्त विचारों की सराहना करते हुये आपको साधुवाद देता है।

पत्र में आगे लिखा गया है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की तीन संविधान पीठों द्वारा एम. नागराज (19.10.2006), जरनेल सिंह एवं अन्य (26.09.2018) एवं आन्ध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य (20.04.2020) के प्रकरणों में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि अजा-अजजा वर्ग से कीमीलेयर लोगों को बाहर किये बिना आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाना असंभव है।

पत्र में प्रार्थना की गई कि:-

1. उपरोक्त तीनों संविधान पीठों के निर्णयों की पालनार्थ केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अजा-अजजा वर्ग से कीमीलेयर लोगों को बाहर करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करने के निर्देश देने का अनुग्रह करें। सुप्रीम कोर्ट में लंबित अजा-अजजा वर्ग की याचिका संख्या 2/2018 का निर्णय तत्काल करवाने का अनुग्रह करें।
2. जब तक केन्द्र एवं राज्य सरकारें अजा/अजजा वर्ग से कीमीलेयर को बाहर करने की अधिसूचना जारी नहीं करते हैं तब तक ओबीसी वर्ग से कीमीलेयर को बाहर करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई अधिसूचना को ही अजा/अजजा वर्ग के लिए भी उपयोग में लाने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अनुग्रह करें।
3. सर्वोच्च न्यायालय सभी सरकारों से स्वतंत्र संविधानिक संस्था है। अतः आपने जो अजा/अजजा वर्ग का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के कार्मिकों की भर्ती में लागू किया है उसमें ओबीसी वर्ग की कीमीलेयर अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का अनुग्रह करें।
4. आप भारतीय न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आपकी उपरोक्त विचारधारा के अनुसरण में सार्वजनिक रूप से यह लिखित घोषणा करें कि आपके परिवार में या आने वाली संतति में कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। इसके साथ ही आप देश के सभी अजा/अजजा वर्ग के ग्रुप-1 अधिकारियों से यह भी आग्रह करें कि वे सब भी इसी आशय की सार्वजनिक रूप से लिखित घोषणा करें। आपके उपरोक्त कार्यों से निश्चित ही देश के करोडों वंचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।

सीजेआई से समता आन्दोलन की मांगे

1. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अजा-अजजा वर्ग से कीमीलेयर लोगों को बाहर करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करने के निर्देश देने
2. जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक ओबीसी की अधिसूचना को ही अजा/अजजा वर्ग के लिए बाध्यकारी की जाए।
3. आपकी विचारधारा के अनुसरण में सार्वजनिक रूप से यह लिखित घोषणा करें कि आपके परिवार में या आने वाली संतति में कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। इसके साथ ही आप देश के सभी अजा/अजजा वर्ग के ग्रुप-1 अधिकारियों से यह भी आग्रह करें

सी.जे.आई गवई की परोक्ष सम्मति!!

अनुसूचित जाति आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिये

गवई ने कहा एक आईएएस अफसर के बच्चे और गरीब किसान मजदूर के बच्चे को एक स्तर पर नहीं रख सकते

अमृरावती, 16 नवंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने रविवार को कहा कि वे अब भी इस विचार के पक्ष में हैं कि अनुसूचित जातियों (एससी) को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर, यानी आर्थिक-सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके वर्ग को बाहर किया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम, 'इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्ययूशन ऐट 75 इयर्स' में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक आईएएस अफसर के बच्चे और गरीब किसान मजदूर के बच्चों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

सीजेआई गवई ने कहा कि उन्होंने अतीत में भी इंद्रा साहनी (मंडल आयोग) मामले के आधार पर यही राय दी थी कि जैसे ओबीसी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान की जाती है, वैसे ही यह व्यवस्था एससी समुदाय के लिए भी होनी चाहिए, भले ही इस विचार की कोफी आलोचना हुई हो। उन्होंने मुस्कराकर कहा कि न्यायाधीशों को आम तौर पर अपने फैसलों का बचाव नहीं करना चाहिए... और मेरे पास सेवानिवृत्ति तक सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है।

उन्होंने भावुक होकर याद किया कि उनके कार्यकाल का पहला कार्यक्रम महाराष्ट्र के अपने गृह नगर अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अमरावती में, मानो उनकी यात्रा एक पूरा चक्र पूरा कर रही हो।

सीजेआई गवई ने कहा कि भारतीय संविधान स्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत, विकसित होने वाला दस्तावेज है। डा0 भीमराव आंबेडकर की सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इसीलिए रखी गई ताकि समय के साथ जरूरतें बदलने पर देश आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि आंबेडकर के भाषण, विशेषकर जब वे मसौदा संविधान प्रस्तुत कर रहे थे, हर कानून के विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए। आंबेडकर के तीन शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व-को उन्होंने भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति की रीढ़ बताया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान की वजह से ही आज भारत में दो राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से हुए है और वर्तमान राष्ट्रपति एक अनुसूचित जनजाति की महिला है।

अपनी यात्रा याद करते हुए उन्होंने कहा, अर्ध-झुग्गी जैसे इलाके और नगरपालिका स्कूल में पढ़ ने वाला एक बच्चा भी जब देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंच सकता है, तो यह संविधान की ही ताकत है।

अध्यक्ष की कलम से

''राजनैतिक कौशल''

प्रिय साथियों,

लीजिये ! बिहार चुनाव परिणामों ने फिर प्रमाणित कर दिया है कि नरेन्द्र मोदी महामानव हैं। इस बार के परिणामो में न केवल भाजपा अपितु उसकी सहयोगी जे डी यू को एनडीए के रूप में प्रचण्ड बहुमत मिला है और पूर्वघोषित नीति के अनुसार नितीश कुमार ने 10 वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बधाई बधाई बधाई।

हमारा उद्देश्य राजनैतिक नहीं है लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरह कथित गोदी मीडिया के बिहार को भारत बनाकर प्रस्तुत किया लेकिन मूल विषय को नहीं समझ पाया वह शुभ नहीं है। हमने बारीकी से अध्ययन किया कि जाति आरक्षण के नाम पर सबसे जटिल प्रदेश बिहार के चुनाव में कहीं भी जात एक मुद्दे के रूप में खड़ी नहीं हुई। इतना हुआ कि चिराग पासवान और जीतनराम माझी जाति के विगत प्रभाव का लाभ उठाने में सफल रहे लेकिन जात को मुद्दे के रूम में ये भी वे स्थापित नहीं कर पाये।

दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण रही कि जात के ऊपर महिला का मुद्दा बहुत भारी सिद्ध हुआ और कॉंग्रेस तथा आरजेडी का काल बन गया। कहने को हारा हुआ विपक्ष कुछ भी कहता रहे लेकिन हम स्थिरता से महसूस करते हैं कि नरेन्द्र मोदी का राजनैतिक कौशल अनुकरणीय है। आभासित होता है कि 2029 में लोकसभा चुनाव पूरी तरह जाति अवधारणा से मुक्त होंगे।

-जय समता

सम्पादकीय

''फाल्स गोड'' अब नहीं

बेशक केवल छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय समाचार मानने वाला चर्चित गोदी मीडिया जरा भी चर्चा न करे फिर भी सोशल मीडिया और यू ट्यूबर्स ने एडवोकेट अनिल मिश्रा को पूरे देश के सामने स्थापित कर दिया है। अनिल मिश्रा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकील हैं और जिला पुलिस कार्यालय में स्वयम पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करने की माँग उठाई तो पुलिस प्रशासन भी सकते में आ गया।

हाईकोर्ट वकील के रूप में तीन दशकों का अनुभव होने के कारण वे अवश्य जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर से आगे बढ़े हैं। उनका मुद्दा अभी प्रारंभिक स्तर पर है लेकिन आगे जाकर उसका परिणाम क्या होगा इसके संकेत मिल गये हैं। अब उनका मुद्दा भी जान लीजिए - ''उन्होने तथ्यों के साथ यह चुनौति दी है कि भारतीय संघ के संविधान के रचनाकार डा0 भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि बी एन राव हैं।''

तथ्यों पर आधारित इस स्थापना पर वे लोग जो एससी-एसटी के नाम पर धौसपट्टी को ही अपना मूल अधिकार मानते हैं, भड़क गये। अम्बेडकरवादी और राव समर्थकों के बीच आमने-सामने टकराव की नौबत आ गई तो प्रशासन ने दोनों गुटों को प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी। हालांकि इससे पहले ही चन्द्रशेखर रावण पीछे हट चुके थे और पूरे प्रकरण पर मायावती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

घटनाक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन धौंसपट्टी करने वाले आरक्षित वर्ग के लोग सनाके में हैं। क्योंकि उनका सबसे अहम और भारदार हथियार डॉ0 भीमराव की छवि बहुत धुंधली हो गई है दूसरी तरफ क्षत्रिय और ब्राह्मणों की दबी-कुचली भावनाओं को मानो पंख लग गये। महाजन समाज तो प्राय: मौन रहा लेकिन क्षत्रिय-ब्राह्मण एकता का नया ग्रंथ लिखा जाता प्रतीत हो रहा है।

हालांकि केन्द्र में मंत्री रहे प्ररख्यात संपादक तथ्यों सहित लिखि गई अपनी पुस्तक में डॉ0 अम्बेडकर को ''फाल्स गोड'' माना है। महान भारत देश जहाँ पत्थर, पेड़, नदी, समुद्र, चींटी से हाथी तक सभी की पूजा किसी न किसी रूप में सदियों से होती आई हैं। लेकिन विगत 77 सालों से जिस ज़िद और जड़ता का प्रयोग करके डॉ0 अम्बेडकर को पहले देश का ''बाबा'' और फिर भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाता रहा है उसे एडवोकेट अनिल मिश्रा ने एक हूँकार में खण्ड-खण्ड कर दिया है।

दुख और निराशा की बात ये है कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत छ: के छ: राष्ट्रीय दल डॉ0 अम्बेडकर को कंधे पर उठाकर चलते रहे हैं। आज देश 33 करोड़ से बढ़कर 140-45 करोड जन का देश हो गया है। सब के सब संवैधानिक नागरिक हैं। फिर सरकारों, संसद और दलों के स्तर जन-जन के भीतर जातीय विभेद पैदा किया जा रहा है। हम इसका साफ शब्दों में विरोध करते हैं। जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण पा जाना ही जीते मोक्ष पा जाना है- स्वेच्छा से मोक्ष कौन छोड़ता है भला!

इंजी कैलाश राजपुरोहित
संभागीय अध्यक्ष, जोधपुर

जब सुप्रीम कोर्ट इंच और सेमी मीटर में नाप नाप के दही हांडी की ऊँचाई तय कर सकता है, कुत्तों को कैसे न्याय मिले इसके लिए बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश सरकारों को दे सकता है तो बरसों से लंबित क्रिमिलेयर में आने वाले सभी आईएएस, आईपीएस, नेता, अफसर, जज को सीधे सीधे आरक्षण सूची से बाहर क्यों नहीं कर सकता?

लो साब, अब तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित अनुसूचित जाति के महान न्यायाधीश महोदय श्री गवई साहब ने भी सरेआम फरमा दिया है कि आईएएस के बच्चे की तुलना गरीब के बच्चे से नहीं की जा सकती....

आप भी कितने भोले हैं गवई साब.., या भोले होने की नौटंकी कर रहे ह?? ये जो आपने महासत्य उजागर किया है ये तो हम बरसों से रो रहे हैं। पर आप के रोने का अंदाज ही अलग है। आपके रोने की खबर बनती है। अखबार गीले हो जाते हैं, मीडिया गमगीन हो जाता है, आप सीजेआई जो ठहरे।

फिर जज साहब, आपने यह भी फ़रमाया कि क्रिमिलेयर को एससी-एसटी आरक्षण से बाहर कर दिया जाना चाहिए... अरे श्रीमान, जब सुप्रीम कोर्ट इंच और सेमी मीटर में नाप नाप के दही हांडी की ऊँचाई तय कर सकता है, कुत्तों को कैसे न्याय मिले इसके लिए बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश सरकारों को दे सकता है तो बरसों से लंबित क्रिमिलेयर में आने वाले सभी आईएएस, आईपीएस, नेता, अफसर, जज को सीधे सीधे आरक्षण सूची से बाहर क्यों नहीं कर सकता?

क्यों इस विषय को बरसों लंबित रखा और इस काम को विधायिका के हिस्से थोपे जाते हैं? साफ-साफ आदेश पारित क्यों नहीं कर देते कि जो भी आठ लाख से ज्यादा कमाता है वो आरक्षण से बाहर... बात खत्म...

सेवा निवृत्ति में जाने से पहले कर दीजिये गरीब के हित में नीर क्षीर न्याय... रोकता कौन है.... गरीबों के हित में थोथे भाषण देने को तो देश में नेते बहुतेरे हैं। आप तो पंच परमेश्वर/जज होने का धर्म निभाइये... हमें पता है आपसे भाषण देने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या अहमियत है आपके ऐसे भाषणों की.. क्या आपके भाषण के बाद एससी/एसटी वर्ग के आईएएस/आईपीएस या अन्य करोड़पति गरीब एससी/एसटी का हक मारना छोड़ देंगे?? कदापि नहीं.....

श्रीमान, आपके इस तरह के भाषणों की गरीबों के हित में क्या न्यायिक उपयोगिता है? कुछ भी तो नहीं... हमें पता है आपके भाषणों की कीमत... मलहम तो दरकिनार, जाते जाते कम से कम गरीबों के रिसते घावों पर नमक, निम्बू और मिर्च तो ना मलिये...

दरअसल क्या है गवई साहब, आरक्षण पा जाना ही जीते मोक्ष पा जाना है... स्वेच्छा से मोक्ष कौन छोड़ता है भला... आप स्वयं आरक्षण के प्रलोभन को छोड़ पाए क्या? आप के पिता विधायक, सांसद, राज्यपाल रहे... तमाम ऐशो आराम में आप पले बढ़े, जज और फिर सुप्रीम जज बने, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं... क्या आप छोड़ पाये आरक्षण सुख? इतने सक्षम, समृद्ध होकर भी अब आप छोड़ पाएंगे आरक्षण? हरगिज नहीं... क्यों नहीं? क्योंकि हाथी के खाने और दिखाने के दाँत अलग अलग होते हैं।

अच्छे न्यायाधीश आप बन पाए कि नहीं इसका आत्मचिंतन तो आप स्वयं ही करें पर गरीबों के हित में आप भाषण अच्छे देते हैं.... अत: सेवा निवृति पश्चात आपके सफल नेता बनने के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाओं को ना नकारें... यथेष्ठ सम्मान और आदर सहित।

जब ताकतवर पदों पर बैठे लोगों को भी दलित कहा जाए, तो देश का नाम बदलकर दलितस्तान कर देना चाहिए

पूर्व सरपंच एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष मूंदड़ी ने एडीजीपी वाई. पूर्ण कुमार प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए देश में जातिगत सोच पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी मानसिकता पनप रही है, जहां व्यक्ति की पहचान उसके कार्य, चरित्र या योगदान से नहीं, बल्कि उसकी जाति से की जाती है और यही सोच समाज को तोड़ रही है।

सुभाष मूंदड़ी ने कहा कि एक एसपी के पास पूरे जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने की ताकत होती है, एक एडीजीपी पूरे राज्य की व्यवस्था संभालने की शक्ति रखता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को चलाने की ताकत रखता है, गृह मंत्री पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है और प्रधानमंत्री देश का संचालन करता है। जब इतनी शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी रखने वाले लोगों को भी दलित कहा जाए, तो फिर देश का नाम बदलकर दलितस्तान कर देना चाहिये।

उन्होंने कहा कि यह बयान किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है, जो समाज में जाति के नाम पर भेदभाव और विभाजन को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि जातिवाद किसी समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश का दुश्मन है।

सुभाष मूंदड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएं हों, शिक्षा और रोजगार के अवसर हों या सामाजिक समानता की दिशा में कदम। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' का मंत्र केवल नारा नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक संकल्प है।

अंत में सुभाष मूंदड़ी ने अपील करते हुए कहा कि समाज को जाति और धर्म से ऊपर उठकर देशहित में एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें जातिवाद के बजाय प्रतिभाए कर्म और देशभक्ति के आधार पर लोगों का सम्मान करना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में एक समरस भारत का निर्माण संभव होगा।

- सुभाष मूंदड़ी

पौराणिक कथन : ''मनुस्मृति''

इच्छाकु वंश के महाराज मनु द्वारा रचित दुनिया का पहला संविधान।

मेरा वैभव तेरा वैभव,
सबसे ऊपर जन का वैभव।
जाति धौंस दपट करी तो फिर-
तुम खो दोगे अपना वैभव ।।

कविता

गीतिका

वे इतिहासों को गरिया कर,
वर्तमान से हमें हटाते।
जैसे ही हम विचलित होते,
वे मन भरकर हमें सताते।
अद्भुत मस्त मलंग हमीं सब,
सबकुछ जानें पर न बोलते।
अपनी ही छाया से डरकर,
खुद को बत्तीस मार बताते।
संघ राज्य में रहते लेकिन,
जात हमारी सबसे ऊपर।
गीत सुनाकर भलमंसी के,
दुष्टों को हम गोद खिलाते।।
वर्तुल सत्ता अब षट्कोणी,
मनमानी है नीति नियंता।
खड़ी देखती जनता हतप्रभ,
राजभवन केवल खिसियाते।।
किसको बोलें कौन सुनेगा,
सबके कानों यंत्र लगे हैं।
लंपट नाच रहे चौराहे,
जन के मन को खूब डराते।।
चलो आज ये करें फैसला,
जीवन की परिभाषा क्या है।
सम्बन्धों की धमा-चौकड़ी,
अपनों को अपने हड़काते।।
वे इतिहासों को गरिया कर,
वर्तमान से हमें हटाते।
जैसे ही हम विचलित होते,
वे मन भरकर हमें सताते।

- नारायण योगेश्वर -

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

आरक्षण का लाभ वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है: पाराशर नारायण शर्मा

सागवाड़ा-16 नवम्बर। समता आन्दोलन समिति की ओर से उपखण्ड मुख्यालय पर एक निजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के आतिथ्य में समता आन्दोलन समिति का स्थापना समारोह आयोजित हुआ।

आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्रसिंह राठौड, सलाहकार रामनिरंजन गोड़, जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौड़, जोधपुर संभाग अध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित, शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल विजयवर्गीय और भरतपुर जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर आदि वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने कहा कि समता आन्दोलन एक समतावादी, राष्ट्रवादी और गैर राजनीतिक आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य देश को सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि देश में जातिगत राजनीति हावी होती जा रही है। जबकि, विकासवादी राजनीति पीछे छूट रही है। प

ाराशर ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था से जातिगत वैमनस्य बढ़ा है और अनेक वर्षों से आरक्षण का लाभ वास्तविक वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है। समता आन्दोलन ईडब्ल्यूएस के पांचों मानदंडों का समर्थन करता है और इन्हीं मानदंड़ों को ओबीसी वर्ग में लागू करवाने के लिए प्रयासरत है।

क्रिमीलेयर प्रावधान लागू करें सरकार

वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में क्रिमीलेयर प्रणाली और उपवर्गीकरण को लागू करवाना आवश्यक है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद अजा-अजजा वर्ग तक पहुंच सके।

समता आन्दोलन पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त करने की भी मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त किया जा चुका है और यही मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर ने टीएसपी एरिया के मुद्दे पर कहा कि करोली व सवाई माधोपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय द्वारा टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों का हक अवैधानिक रूप से हड़पा जा रहा है। राजस्थान हाइकोर्ट जोधपुर ने फरवरी 2014 में सुगनलाल भील बनाम राज्य सरकार प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मीणा समुदाय आदिवासी सूची में शामिल नहीं है। इसलिए उन्हें अजा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय को लागू नहीं कर पा रही। इससे करोड़ों आदिवासियों को उनका उचित हक नहीं मिल रहा। टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को इस निर्णय को लागू करवाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए।

राजनीति में आरक्षण का किया खुला विरोध

वक्ताओं ने कहा कि समता आन्दोलन विधायिका में भी जातिगत आरक्षण का विरोध करता है। इसके कारण पूरे देश में जातिगत राजनीति हावी हो रही है। विकासवादी राजनीति पिछड़ रही है। टीएसपी एरिया में जो पंचायतों और निकायों में प्रमुखों के पदों पर जो सौ प्रतिशत आरक्षण किया हुआ है, वह पूरी तरह से अनुचित है। यह प्रक्रिया रोस्टर प्रणाली से लागू होती हैं तो वागड़ परिक्षेत्र में निवासरत सभी जाती वर्ग को समान रूप से उनका हक मिलेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर ने बताया कि टीएसपी में निवासरत ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 22 प्रतिशत से अधिक होते हुए भी ओबीसी आरक्षण का लाभ जो राज्य सरकार द्वारा 27 प्रतिशत दिया गया है वो लाभ भी ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा है। यह उनका संवैधानिक हक है। इस क्षेत्र के पीड़ित लोग यदि इसे चुनौती देंगे, तो यह निश्चित ही निरस्त होगा। इस दौरान भोगीलाल मोडपटेल,दिनेश श्रीमाल, विनोद पंड्या, विनोद त्रिवेदी, पूर्णा शंकर त्रिवेदी, जगदीश वैष्णव, भगवती लाल पंचाल, सुभाष पंचाल, जय शंकर पंड्या, सुनील भट्ट भीलुडाए चन्द्रशेखर संघवीए मुकेश भोईए देवीलाल फ्लोतए करणसिंह शक्तावत गेंहुवाड़ाए नरेन्द्र सिंह वगैरीए रामचन्द्र जोशीए कृष्णपाल सिंह चिखलीए गम्भीर सिंह नौलियावाड़ाए गौतम पाटीदार रणोलीए मदनसिंह सलूम्बर मौजूद रहे।

असमानता, भेदभाव व अस्पृश्यता समाप्त होने तक आरक्षण रहे: भागवत

बेंगलुरु, 09 नवंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षा में आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक सच्ची सामाजिक समानता हासिल न हो जाए।

भागवत ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर व्याख्यान श्रृंखला में कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ''असमानता, भेदभाव और अस्पृश्यता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाये । एक बार जब समाज के सभी वर्गों को वास्तव में समान अवसर मिलने लगेंगे, तो योग्यता स्वाभाविक रूप से फलेगी-फूलेगी। आरक्षण और योग्यता एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि ये निष्पक्षता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं।''

उन्होंने कहा कि प्रतिभा समाज के सभी वर्गों में मौजूद है, जिसमें पिछड़े वर्ग और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय भी शामिल है, और यह मानना गलत है कि योग्यता केवल आरक्षण प्रणाली के बाहर ही है। भागवत ने अवसर की समानता के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, ''हज़ारों सालों से, समाज के वंचित वर्ग समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे हैं। हमें सभी समुदायों को अवसर, प्रेम और सम्मान के मामले में समान स्तर पर लाना होगा। तभी योग्यता का निष्पक्ष रूप से संरक्षण हो सकता है।''

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गुप्त और प्रत्यक्ष अस्पृश्यता अभी भी बनी हुई है और कई सामाजिक बाधाएं अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आरक्षण को समय से पहले समाप्त करने से उन्हीं लोगों को नुकसान होगा जिन्हें अभी भी सहायता की आवश्यकता है।

भागवत ने कहा कहा कि कुछ प्रगति हुई है जो एक सकारात्मक बदलाव है। पिछड़ा वर्ग के कुछ समुदाय अब ''दाता'' के रूप में काम करने और योग्य लोगों का समर्थन करने में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं।

जबरन धर्म परिवर्तन पर, भागवत ने कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने की कुंजी प्रेम, सम्मान और सेवा के माध्यम से सामुदायिक महचान को मजबूत करना है।

''निकाय चुनावों में सुनिश्चित हो संविधान पीठ का निर्णय: समता आन्दोलन''

जयपुर-13 नवम्बर। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ के निर्णय की पालना सुनिश्चित करते हुये अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची अलग से जारी करके वैश्य आदि वंचित समुदायों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने बाबत समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है।

पत्र में निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिनांक 11 मई 2010 को के. कृष्णमूर्ति एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिये गये निर्णय में बाध्यकारी निर्देश दिये हैं कि अनुच्छेद 16 (4) अथवा 15 (4) के अधीन ओबीसी का आरक्षण देने के लिए बनाई गई सूचियाँ अनुच्छेद 243-डी (2), (3), (4), (5), (6) एवं 243-टी (1),(4), (5), (6)आदि के अधीन स्थानीय निकायों / ग्राम पंचायतों में आरक्षण देने के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाई जा सकती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिन समुदायों, वर्गों, जातियों को किन्हीं कारणोंवश स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों/ जिला परिषदों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है उन्हें आरक्षण का लाभ देते हुये उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

आप यह भली भांति जानते हैं कि राजस्थान राज्य में स्थानीय निकाय /ग्राम पंचायतों / जिला परिषदों आदि के चुनावों में वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहता है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में शामिल कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, अरोड़ा खत्री आदि समुदायों का भी प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहता है।

पत्र में प्रार्थना की गई हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करते हुये स्थानीय निकायों /ग्राम पंचायतों /जिला परिषदों के चुनावों हेतु ओबीसी आरक्षण के लिए समुचित जांच के बाद संशोधित सूची जारी करते हुये कम अथवा नगण्य प्रतिनिधित्व वाले जाति समुदायों को शामिल करने का अनुग्रह करें। पत्र में कहा गया है कि यह न्यायपूर्ण एवं समतावादी कदम उठाने में असफ्ल रहते हैं तो हमें न्यायपालिका की शरण में जाने को मजबूर होना होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। प्रतियॉ सभी विधायकों को दी गई।

एससी-एसटी एक्ट दर्ज कराऊंगा और उस राशि से पथरी का इलाज कराऊंगा

अशोकनगर जनसुनवाई में एक अजब-गजब शिकायत आई। इसमें महिला ने एसपी से शिकायत कर आरोप लगाया है कि पड़ोसी ने उसके व पति के साथ पहले तो मारपीट की। फिर पति को धमकी दी है कि तेरे ऊपर एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज कराऊंगा, उस केस से जो राशि मिलेगी उससे अपना पथरी का इलाज कराऊंगा।

मामला शहर की तुलसी सरोवर कॉलोनी का है। पूजा पत्नी धर्मवीर कुशवाह ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर यह शिकायत की है। जिसमें पूजा कुशवाह का कहना है कि पड़ौसी मकान के सामने गंदा पानी फेंकता है। जब रोका तो पड़ौसी चरणजीत अहिरवार की पत्नी शारदा अहिरवार ने आकर उससे मारपीट की और चरणजीत अहिरवार ने भी उसे घर से खींचा।

पूजा कुशवाह का कहना है कि जब पति धर्मवीर कुशवाह काम से लौटा तो चरणजीत अहिरवार ने उसे धमकी दी है कि वह उस पर एससी-एसटी एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज कराएगा व उस प्रकरणसे जो सरकारी राशि मिलेगी, उससे वह अपनी पथरी का इलाज कराएगा।

थाने में नहीं हुई सुनवाई

पूजा कुशवाह का कहना है कि जब वह शिकायत करने गई देहात थाने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कहा कि दोनों को जिलाबदर कर देंगे। इससे उसने एसपी से शिकायत कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि इस तरह के झूठे प्रकरणों से बचाया जाए।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in